न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/21/18	05—13—2018	07—08—2018

1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. फकरूदीन पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी ग्राम केराका तहसील नूँह जिला मेवात हरियाणा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5(7), 8 आर0 बी0 एक्ट में जप्तशुदा गौवंश के निस्तारण बाबत

उपस्थितः—

01. श्री गंगाराम मीणा —वकील (प्रार्थी सुपुर्ददार)

::——निर्णय——::

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर द्वारा एफ0आई0आर0 नम्बर 56/2018 अन्तर्गत धारा 5(7), 8 आर0बी0एक्ट में प्रार्थी ने जब्त शुदा नग 2 गाय व 2 बछडों को सुपुदर्गी में दिये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :—

थानाधिकारी पुलिस थाना, भिवाडी जिला अलवर ने अपने पत्रांक 1009 दिनांक 08—03—2018 द्वारा अवगत कराया है कि थाना हाजा पर दर्ज एफ0आई0आर नम्बर 56/2018 अन्तर्गत धारा 5 (7), 8 आर0बी0एक्ट के अनुसार दिनांक 20—01—2018 को सूचना मिली की भिवाडी मोड के पास कथाकथित गौरक्षक दो पिकअप जिनमें गायें है, रूकवा रखी है। गोवंश लाने वालों के साथ मारपीट करने पर आमदा हो रहें है। ए एस आई जसवंत सिंह मय कानि0 विजय कुमार नं0 2214 व कानि0 राजेन्द्रो नं0 1548 मय वाहन सरकारी के रवाना होकर भिवाडी मोड पहुंचा जहां दो पिकअप नं0 आर जे 14 जी जी 8493 व आर जे 32 जी बी 2408 मिली। जिनमें 5 दूधारू गाय व 5 बछिया भरी हुई 6 तथाकथित गौरक्षक मौके पर शांति भंग करते हुए मिलें। जिस पर 6 कश गौरक्षको को 151 सी आर पी सी में गिरफ्तार किया तथा पिकअप नं0 आर जे 14 जी जी 8493 मय तीन गाय दूधारू व तीन बछिया दूध पीती हुई व चालक साजिद पुत्र अब्दूल सलाम मेव निवासी मानपुरा सडवा थाना ब्रहम्पुरी जयपुर व गौस्वामी जमालु पुत्र बाबुदीन जाति कुरेशी निवासी आकेडा थाना नूंह मेवात हरियाणा व पिकअप नं0 आर जे 32 जी बी 2408 जिसमें दौ गायें दूधारू व दौ बछियां दूध पीती हुई व मय चालक जुबेर पुत्र इलियास जाति मेव निवासी चौडावत थाना किशनगढ बास जिला अलवर व गौस्वामी फकरूदीन पुत्र सरीफ खान जाति कुरेशी निवासी कैराका थाना नूंह मेवात हरियाणा

जिला मजिस्ट्रेट अलवर

से गौवंश के संबंध में पूछताछ की गई जिस पर फकरूदीन व जमालु द्वारा पांच गाय दूधारू जयपुर से खरीदकर नूंह मेवाल हरियाणा ले जाना बताया। जिन्होने बताया कि हमारे पास कोई वैध दस्तावेज नही है। इस प्रकार शक्सान द्वारा गौवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिबंध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थाई प्रवजन या निर्यात विनियमन करना धारा 5 (7), 8 आर बी एक्ट का अपराध पाया जाने पर दोनो पिकअप को थाना परिसर में खडी कराई जाकर एचएम मालखान को सुपुर्द की गई, तथा फर्द जप्त कर गौवंश को बाबा मोहन दास गौशाला भिजवाई गई। मुलजिमों के विरूद्व जुर्म धारा 5 (7), 8 आर बी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया मुलजिमों के बाद तफतीश सी जे जे डी जे एम भिवाडी के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्ष में भेजा गया है।

फकरूदीन पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी ग्राम केराका तहसील नॅूह जिला मेवात हरियाणा ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जब्तशुदा 2 गाय व 2 बछडो का मालिक है, प्रार्थी पशु हटवाडा जयपुर से खरीद किये गये थे। जिसकी नगर निगम जयपुर के रवन्ना क्रमांक सं0 105417 दिनांक 20—01—2018 है। बिना किसी अपराध के मुकामी पुलिस ने प्रार्थी के उक्त पशुधन को अपनी अभिरक्षा में लिया है। प्रार्थी अपने पशुधन का स्वामी है सुपुर्दनामा पर लेने के लिए अधिकृत एवं सक्षम व्यक्ति है। प्रार्थी का जीविकोपार्जन में से एक साधन है। गोशाला में रहने से गाय व बछडों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड रहा है तथा चारा—पानी की भी कोई व्यवस्था नही होने से मर जाने की संभावना है। अतः जब्त रहने से प्रार्थी को भारी असुविधा हो रही है। इसलिए उक्त जब्तशुदा गाय व बछडों को सुपुर्दनामा पर दिये जाने के आदेश प्रदान करें। अपने कथन की पुष्टी में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत आकेडी खण्ड नूंह जिला मेवात हरियाणा का पेश किया गया।

बाबा मोहन राम गौशाला सेवा समिति की ओर से श्री सुन्दर द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 17—07—2018 को पेश कर निवेदन किया गया कि 5 गाय व 5 बछडें कुल गौवंश 10 है जिनको पुलिस सुपुर्दगी के छोड के गई थी, जो स्वस्थ्य व अच्छी है, एवं गौशाला में सुरक्षित है। साजिद पुत्र अब्दूल सलाम मेव निवासी मानपुरा व जमालुददीन पुत्र बाबुदीन जाति कुरेशी निवासी आंकेडा थाना नूंह मेवात को गाय दी जाती है तो गाय को काट देगें जहॉ है वहॉ सुरक्षित है।

विद्वान वकील प्रार्थी सुपुर्ददार की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा विचार किया। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थाई प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा— 7(1) में स्पष्ट किया गया है कि ''जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जावें तो अभिगृहीत किये गये गोवंशीय पशुओं की

जिला मजिस्ट्रेट झालावर

अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक ऐजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सोंपी जा सकेगी।'' धारा–7 में अभिगृहीत गोवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। जब तलाशी, अभिग्रहण या निरीक्षण के दौरान गोवंशीय पशुओं को अभिगृहीत किया जावे तो उन्हें मामले के अन्तिम निपटारे तक निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकेगाः–

(i) गोवंशीय पशुओं के कल्याण के लिए कार्यरत मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी,

(ii) राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अधीन शासित गोशाला,

(iii) ऐसा कोई गोसदन, अथवा

(iv) इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गो–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।''

उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक जप्तशुदा गौवंश को प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा खारिज किया जाता है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर से प्राप्त पत्र के आधार पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश को बाबा मोहनराम गौशाला मिलकपुर तहसील तिजारा जिला अलवर की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त गौशाला में गौवंश अधिक मात्रा में हो तो उक्त गौवंश अन्य किसी नजदीकी गौशाला को सुपुदर्गी में दिये जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला अलवर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 07–08–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर